

4-2-22 आज कोर्ट द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखने / अन्य कार्य में व्यस्त होने के तहत आदेशों की पालना में पत्रावली नियत दिनांक 25-2-22 को पेश हो

25-2-22 आज पीठासीन अधिकारी महादय अचकारा वर अन्य कार्य में व्यस्त होने के तहत आदेशों की पालना में पत्रावली नियत दिनांक 25-3-22 को पेश हो

25-3-22 आधिकारता प्राचीन उपस्थित। तबके पेश की गये हुक्म आदेशों का पालना करने के लिए प्रार्थना की जा रही है। तबके पेश की गये हुक्म आदेशों की पालना करने के लिए प्रार्थना की जा रही है। 29-4-22 को पेश हो।

अति. जिला कलक्टर
बोसा

29-4-22 आज पीठासीन अधिकारी महादय अचकारा वर अन्य कार्य में व्यस्त होने के तहत आदेशों की पालना में पत्रावली नियत दिनांक 4-5-22 को पेश हो


4-5-22 आधिकारता प्राचीन उपस्थित। राजकीय आधिकारता उपस्थित। राजकीय आधिकारता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री राजीव सिंह गोडारा उपजुड आधिकारी सिन्हा का स्थानांतरण हो चुका है इसलिए प्राचीन पत्र स्थानांतरण के आगे चलना जाना उचित नहीं है। प्राचीन पत्र स्थानांतरण खारिज कर माया जावे। आधिकारता प्राचीन द्वारा श्री राजकीय आधिकारता के डेटा केबल से सहमत होना व्यक्त किया गया।

पत्रावली का आलोचन किया गया। राजकीय आधिकारता एवं आधिकारता प्राचीन के कथन पर मनन किया गया। प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन आधिकारी श्री राजीव सिंह गोडारा उपजुड आधिकारी

अति. जिला कलक्टर



न्यायालय उत्तरि जिला कलक्टर दौसा

<p>तारीख हुकम</p>	<p>मु. नं. 2/2021 प्रांपत्र स्वानांतरण हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज बुनवान: गोपाल बगम मिशोर केस</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
	<p>सिकराय का स्वानांतरण के मुकद्दमा सिविल सिविल में प्रांपत्र स्वानांतरण के आगे चलाने के न कोचिल्य नहीं है इसलिये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिमराय में विचाराधीन मुकद्दमा नंबर 210/2015 इनवानी मिशोर बनाम दागोडर के अन्य सक्षम न्यायालय में स्वानांतरण करने हेतु प्रार्थना गोपाल, मिशान पुत्रान केना जाहिमावी ग्राम जीजगह तंडसील सिकराय द्वारा प्रस्तुत प्रांपत्र स्वानांतरण खारिज किया जाता है विविय भी जाहे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिमराय में त्रिजवाई जाहे पत्रवली फेसल सुमार की जाकर नम्बर से मस है एवं बाद पूर्ण प्रविष्ट लेख भण्डार की जाये। निर्णय आज दिनांक 4-5-2022 को मेरे द्वारा मुझे न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p align="right">  (आर. के. मीना) अति. जिला कलक्टर दौसा </p>	

